संख्या- 133/2018/1109/41-2019-17(बजट)/2017

प्रेषक,

ए0पी0 सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग — लखनऊ: दिनांक 26 मार्च, 2019

विषय- जनपद वाराणसी में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना हेतु भूमि के क्रय/अधिग्रहण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-8230/6-1-1(865)/2018, दिनांक 19 मार्च, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद वाराणसी में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना हेतु ग्राम नागापुर, परगना कोलअसला, तहसील-पिण्डरा, जनपद वाराणसी स्थित कुल गाटा संख्या-320 तथा कुल रकबा 61.519 हे0 अर्थात 150 एकड भूमि जिलाधिकारी वाराणसी की संस्तुति के अनुक्रम में क्रय किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-01/2018/4123/41-2017-17(बजट)/2017 दिनांक 03 जनवरी 2018 द्वारा रू0 20000.00 लाख (रूपया दो सौ करोड़) मात्र की स्वीकृति तथा शासनादेश संख्या-166/2018/2964/41-2018-17(बजट)/2017 दिनांक 20 सितम्बर 2018 द्वारा ग्राम नागापुर, परगना कोलअसला, तहसील-पिण्डरा, जनपद वाराणसी स्थित कुल गाटा संख्या-145 तथा कुल रकबा 46.0998 हे0 अर्थात 113 एकड़ आवश्यक अतिरिक्त भूमि को जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा की गयी संस्तुति के अनुसार आपसी समझौते से क्रय/अधिग्रहण किये जाने हेतु रू0 150,00,00,000.00 (रूपये एक सौ पचास करोड़ मात्र) की धनराशि स्वीकृति किये जाने के अनुक्रम में उक्त चिन्हिंत भूमि के क्रय/अधिग्रहण हेतु मूल्यांकन के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 46,60,90,040.00(रूपये छियालीस करोड़ साठ लाख नब्बे हजार चालीस मात्र) की धनराशि जिलाधिकारी वाराणसी को उपलब्ध कराये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) उपर्युक्त कार्य हेतु प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण हेतु समस्त औपचारिक्ताओं यथा-वित्तीय एवं राजस्व नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा यथावश्यकता सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/2018/बी0-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त योजना किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोतों से धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है।

(3) उपर्युक्त कार्य हेतु प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण हेतु समस्त औपचारिकताओं यथा-वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों एवं राजस्व विभाग द्वारा निर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 (अधिनियम संख्या-30 सन् 2013) एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेश आदि तथा भू-स्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया का निर्धारण विषयक राजस्व अनुभाग-13 के शासनादेश सं0-2/2015/215/एक-13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 में उल्लिखित प्रक्रिया/नियमों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं यथावश्यकता सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(4) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा संगत नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा। शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये शर्तों एवं प्रतिबन्धों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त प्रस्तर-2 में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-37-जनपद वाराणसी में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/2018/बी0-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-133/2018/1109(1)/41-2019-17(बजट)/2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- आयुक्त वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
4- जिलाधिकारी, वाराणसी।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- कोषाधिकारी, वाराणसी।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।
9- संयुक्त निदेशक, पर्यटन, वाराणसी ।
10- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in